हरदानसिंह बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 20 / 2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.11.2021	आज यह प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 188 रकबा 57 बीघा 1 बिस्वा का 1/4 हिस्से में से 4 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 935/262 रकबा 0.6930 हैक्ट0 की रजिस्ट्री 2006 में करवाने के लिए तहसील में 135/2 में दर्ज होने के बावजूद तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा नामान्तकरण नही खोले जाने के संम्बध में पेश किया। प्रार्थी को एक तरफा सुना गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संन्तुलन व अपरिमित क्षति प्रार्थी के हक में होना पाया जाता है। तथा उक्त आराजी मे तहसीलदार मौजमाबाद को पाबन्द किया जाता है कि आगामी दिनांक 12.11.2021 तक उक्त आराजी के सम्बध में रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। तथा इस आराजी के संम्बध में कोई कार्यवाही एवं निर्णय पारित नही करें। यदि इसमें उन्हे कोई आपत्ति हो तो वे न्यायालय में दिनांक 12.11.2021 को उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली दर्ज पंजिका हो। तथा तहसीलदार मौजमाबाद को उक्त प्रकरण का मूल रिकार्ड हेतु तहरीर जारी हो। अप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.11.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर)	तहरीर 777 / 09.11.21 नो० क्रमांक 778 / 09.11.21
	12/11/2021	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मौजमाबाद से रिकार्ड अप्राप्त। मूल रिकार्ड हेतु पत्रावली दि. 15/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर)	

Scanned with CamScanner

15/11/2021

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज राजकार्य से बाहर/व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/11/2021 को पेश हो।

22/11/2021

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज राजकार्य से बाहर/व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 26/11/2021 को पेश हो।

26/11/2021 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा पत्रावली मय निर्णीत बहस के प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। प्रार्थी अप्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन करने पर कार्यालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि न्यायहित में यदि प्रार्थी नामांतरकरण के संबंध में तहसीलदार मौजमाबाद के न्याय निर्णय में संदेह रखता है तो निष्पक्ष न्याय हेतु पत्रावली स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। पत्रावली न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार दूदू को स्थानान्तरित की जाकर प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नतीजा ले दा.द. हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner